

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक...../पटना, दिनांक.....
नि०-17/2/2020-प्रशाखा-03-RCS

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना से विभागीय प्रचार-प्रसार अंतर्गत गाँधी मैदान, पटना में गणतंत्र दिवस समारोह-2026 के अवसर पर ADD24 SERVICES PVT. LTD, RK PLAZA, MAIN ROAD MAINPURA, RAJAPUR, PATNA द्वारा झाँकी निर्माण एवं साज-सज्जा पर हुए जी.एस.टी. सहित व्यय रू० 3,25,680/- (तीन लाख पचीस हजार छः सौ अस्सी) एवं लाईव आर्टिस्ट, ध्वनि विस्तारक यंत्र, थीम म्यूजिक, लाईट एवं साउंड इत्यादि पर हुए जी.एस.टी. सहित व्यय रू० 3,03,260/- (तीन लाख तीन हजार दो सौ साठ) अर्थात् कुल व्यय की राशि रू० 6,28,940/- (छः लाख अठाईस हजार नौ सौ चालीस) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना से विभागीय प्रचार-प्रसार अंतर्गत गाँधी मैदान, पटना में गणतंत्र दिवस समारोह-2026 के अवसर पर ADD24 SERVICES PVT. LTD, RK PLAZA, MAIN ROAD MAINPURA, RAJAPUR, PATNA द्वारा झाँकी निर्माण एवं साज-सज्जा पर हुए व्यय रू० 3,25,680/- (तीन लाख पचीस हजार छः सौ अस्सी) एवं लाईव आर्टिस्ट, ध्वनि विस्तारक यंत्र, थीम म्यूजिक, लाईट एवं साउंड इत्यादि पर हुए जी.एस.टी. सहित व्यय रू० 3,03,260/- (तीन लाख तीन हजार दो सौ साठ) अर्थात् कुल व्यय की राशि रू० 6,28,940/- (छः लाख अठाईस हजार नौ सौ चालीस) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति संसूचित की जाती है।

2. उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-09, राज्य योजना मुख्य शीर्ष-2425-सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-105-सूचना एवं प्रचार, उपशीर्ष-0101-सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय, विपत्र कोड-09-2425001050101 विस्तृत शीर्ष-20-अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष-02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

3. इस राशि की निकासी हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के लिए प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी CFMS के माध्यम से करेंगे। आहरित की गई राशि को NEFT, RTGS के माध्यम से ADD24 SERVICES PVT. LTD, RK PLAZA, MAIN ROAD MAINPURA, RAJAPUR, PATNA के शाखा IDFC BANK, BRANCH-BORING ROAD IFSC-IDFB0060281 के खाता संख्या-10136343064 में जमा करेंगे, इसके लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है। किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त, बिहार, पटना के पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं संकल्प संख्या-7245 दिनांक 26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

6. स्रोत पर अनुमान्य कटौती सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-नि0-17/2/2020-प्रशाखा-03-RCS पर के पृ0 संख्या-88/टि0 पर दिनांक-08.04.2026 को दी गई है।
8. इस राशि की स्वीकृति सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या-नि0-17/2/2020-प्रशाखा-03-RCS पर के पृ0 संख्या-89/टि0 पर दिनांक-27.04.2026 को दी गई है।

ह0/-

(अभय कुमार सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक.....56...../पटना, दिनांक 28/04/26

नि0-17/2/2020-प्रशाखा-03-RCS

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना।
2. सचिव के आप्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा।
3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को मोल अभिश्रव सहित/उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा-03 (बजट शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आई.टी.मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।
4. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय बिहार, पटना को मुहरबन्द लिफाफे में।

1
[1421
28-04-2026

सरकार के अपर सचिव।